



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2024 / 545

दर्ज तिथि:-27.12.2024

1. प्यारीदेवी पत्नी केहराराम जाति विश्‍नोई निवासी चिमाणी विश्‍नोईयों की ढाणी खुडाला तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. अमराराम पुत्र सुरताराम
2. सत्यपाल पुत्र सुरताराम
3. सुराराम पुत्र सुरताराम
4. जगदीश प्रसाद पुत्र सुरताराम
5. गजरा पुत्री सुरताराम
6. प्रमीला पुत्री सुरताराम
7. तीजों पत्नी सुरताराम
8. जगमालराम पुत्र चन्दाराम
9. बालूराम पुत्र चुतराराम
10. मगाराम पुत्र चुतराराम
2. जाति विश्‍नोई निवासी चिमाणी विश्‍नोईयों की ढाणी खुडाला तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर हाल सदराम की बेरी सांवा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।
11. शाखा प्रबंधक एस0बी0आई0 शाखा गुडामालानी
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता

प्रार्थी:- श्री बाबूलाल विश्‍नोई

अप्रार्थी:- श्री चिमनसिंह चौधरी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-212

राजस्थान काश्तकारी अधि0-1955

:-निर्णय:-

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म



निर्णय दिनांक:-17.04.2025

वृत्तान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने निवेदन किया गया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी खसरा संख्या 39/1/9.0811 है0 मौजा चिमाणी विश्नोईयों की ढाणी पटवार मंडल खुडाला तहसील गुडामालानी में अवस्थित है। उक्त भूमि वादी के पुत्र बाबू पुत्र केहरा ने 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01-07 के पिता सुरताराम व प्रतिवादी संख्या 08 जगमालराम ने 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 09-10 ने 1/3 हिस्सा अनुसार जरिए पंजीबद्ध बयनामा दिनांक 10.09.1985 को खरीद की थी। इसी हिस्सा अनुसार उक्त खरीददार मौके पर काबिज काशत है। बाबू पुत्र केहरा की मृत्यु के पश्चात विरासत में वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। परंतु राजस्व रिकॉर्ड में वादी व प्रतिवादी के हिस्से गलत दर्ज किए हुए हैं। अप्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी का बिना हिस्सा दुरस्ती करवाए व विभाजन करवाए दीगर व्यक्तियों को बेचान करने एवं मौके पर प्रार्थीगण को बेदखल कर दीगर व्यक्तियों को कब्जा कराने पर आमदा है। इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा घोषणा व विभाजन का दावा प्रस्तुत किया गया है। इससे प्रार्थीगण के हकों पर नकारात्मक असर होगा। इस प्रकार दौरान-ए-वाद उक्त आराजी पर रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाए रखने का निवेदन किया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र का जवाब प्रस्तुत करने हुए निवेदन किया कि उक्त भूमि वादी के पुत्र बाबू पुत्र केहरा ने 1/4 हिस्सा, सुरता का 1/4 हिस्सा, जगमाल का 1/4 हिस्सा व चुतरा का 1/4 हिस्सा अनुसार जरिए पंजीबद्ध बयनामा दिनांक 10.09.1985 को खरीद की थी। इसी हिस्सा अनुसार उक्त खरीददार मौके पर काबिज काशत है। इस प्रकार 39/1/9.0811 है0 मौजा चिमाणी विश्नोईयों की ढाणी पटवार मंडल खुडाला तहसील गुडामालानी में प्रार्थी और अप्रार्थी दोनो संयुक्त खातेदार है। उक्त आराजी में पक्षकारान का हिस्सा सभी दर्ज है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि संयुक्त खातेदारी आराजी में प्रत्येक इंच हिस्से पर सभी संयुक्त खातेदारों का शामिल स्वामित्व व कब्जा होता है। साथ ही कोई भी संयुक्त खातेदार किसी अन्य खातेदार के विरुद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संयुक्त खातेदारों के विरुद्ध एकपक्षीय निषेधाज्ञा प्राप्त की है। अतः इन आधारों पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र काबिल-ए-खारिज है।
3. प्रकरण में उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी/प्रार्थी ने दौराने जिरह प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी का बिना हिस्सा दुरस्ती करवाए व विभाजन करवाए दीगर व्यक्तियों को बेचान करने एवं मौके पर प्रार्थीगण को बेदखल कर दीगर व्यक्तियों को कब्जा कराने पर आमदा है। इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा घोषणा व विभाजन का दावा प्रस्तुत किया गया है। इससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण को राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी/अप्रार्थी ने दौराने जिरह प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संयुक्त खातेदारों के विरुद्ध एकपक्षीय निषेधाज्ञा प्राप्त की है। अतः इन आधारों पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र काबिल-ए-खारिज है।

4. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया है। उपरोक्त विधिक प्रावधान के संदर्भ में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-212 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-39 नियम-01 व नियम-02 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रथमदृष्टया विवाद, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होना तथा प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होने के साथ प्रार्थी का आचरण बेदाग होना आवश्यक है। उक्त संदर्भ में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है।
5. प्रकरण में सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रथमदृष्टया विषयवस्तु/विवाद कारण को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी का बिना हिस्सा दुरस्ती करवाए व विभाजन करवाए दीगर व्यक्तियों को बेचान करने एवं मौके पर प्रार्थीगण को बेदखल कर दीगर व्यक्तियों को कब्जा कराने पर आमदा है। इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा घोषणा व विभाजन का दावा प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण संयुक्त आराजी के बिना हिस्सा दुरस्ती करवाए व विभाजन करवाए मौके पर सहकाश्तकारों के कब्जे में दखल देने तथा सहकाश्तकारों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को मौके पर संयुक्त आराजी के किसी विशेष भाग का बेचान कर कब्जा सुपुर्द करने से संबंधित है। प्रकरण में वाद के विचारण के पश्चात् ही संयुक्त आराजी के मौके पर सहखातेदारों के मौके पर किसी हिस्सा विशेष पर कब्जा व घोषणा के अनुतोष के आधार पर हक हिस्से के बारे में निर्णयन किया जा सकता है। इस प्रकार प्रकरण में मजबूत प्रथमदृष्टया विषयवस्तु/विवाद कारण उत्पन्न होना प्रतीत होता है। जिसका निर्धारण दावा के गुणावगुण पर साक्ष्य-सबूत लेकर ही किया जा सकता है।
6. प्रकरण में अब प्रार्थीगण को होने वाली अपूर्णनीय क्षति को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी का बिना हिस्सा दुरस्ती करवाए व विभाजन करवाए दीगर व्यक्तियों को बेचान करने एवं मौके पर प्रार्थीगण को बेदखल कर दीगर व्यक्तियों को कब्जा कराने पर आमदा है। इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा घोषणा व विभाजन का दावा प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण संयुक्त आराजी के बिना हिस्सा दुरस्ती करवाए व विभाजन करवाए मौके पर सहकाश्तकारों के कब्जे में दखल देने तथा सहकाश्तकारों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को मौके पर संयुक्त आराजी के किसी विशेष भाग का बेचान कर कब्जा सुपुर्द करने से संबंधित है। प्रकरण में वाद के विचारण के पश्चात् ही संयुक्त आराजी के मौके पर सहखातेदारों के मौके पर किसी हिस्सा विशेष पर कब्जा व घोषणा के अनुतोष के आधार पर हक हिस्से के बारे में निर्णयन किया जा सकता है। दौरान-ए-वाद विवादग्रस्त आराजी के किसी हिस्सा विशेष के अंतरण होने एवं वाद के निर्णय के पश्चात् वादी के पक्ष में प्रकरण बनने की स्थिति में विवादग्रस्त आराजी में वादी के अधिकारों पर नकारात्मक व अपूर्णनीय क्षति होना प्रबल सम्भावित है। साथ ही इससे वादों की बहुलता में भी वृद्धि सम्भावित है। इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति उत्पन्न होना प्रतीत होता है।
7. प्रकरण में अब सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में झुकाव रखने के बारे में समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली के अवलोकन

से स्पष्ट है कि अप्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी का बिना हिस्सा दुरस्ती करवाए व विभाजन करवाए दीगर व्यक्तियों को बेचान करने एवं मौके पर प्रार्थीगण को बेदखल कर दीगर व्यक्तियों को कब्जा कराने पर आमदा है। इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा घोषणा व विभाजन का दावा प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण संयुक्त आराजी के बिना हिस्सा दुरस्ती करवाए व विभाजन करवाए मौके पर सहकाशकारों के कब्जे में दखल देने तथा सहकाशकारों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को मौके पर संयुक्त आराजी के किसी विशेष भाग का बेचान कर कब्जा सुपुर्द करने से संबंधित है। प्रकरण में वाद के विचारण के पश्चात् ही संयुक्त आराजी के मौके पर सहखातेदारों के मौके पर किसी हिस्सा विशेष पर कब्जा व घोषणा के अनुतोष के आधार पर हक हिस्से के बारे में निर्णयन किया जा सकता है। दौरान-ए-वाद विवादग्रस्त आराजी के किसी हिस्सा विशेष के अंतरण होने एवं वाद के निर्णय के पश्चात् वादी के पक्ष में प्रकरण बनने की स्थिति में विवादग्रस्त आराजी में वादी के अधिकारों पर नकारात्मक व अपूर्णनीय क्षति होना प्रबल सम्भावित है। इस प्रकार प्रकरण में उक्त आराजी के अंतरण पर रोक लगाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा की तुलना में प्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

8. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का प्रकरण में मजबूत विवाद विषयवस्तु प्रकट होने, प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति प्रतीत होने तथा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को हुई असुविधा की तुलना में प्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने के कारण प्रार्थी उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा ताफैसल वाद संख्या 2024/544 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर उभयपक्षकारान को मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी व पुष्ट की जाती है।

आज 17.04.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)

सहायक कलक्टर

गुढामालानी-बाड़मेर